संख्या– 1315 (4)/26–3–2011–10(28)/99

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 में आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छमाही के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–09–12/स0क0/लेखा–बजट/2011–12, दिनांक 5–4–2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–1315(3)/26–3–2011–10(28)/99, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/ दस–2011– 231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–" एवं " 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रथम छमाही के खर्चो को वहन करने के लिए रू0 58,93,49,000/– (रूपये अट्ठावन करोड़ तिरानबे लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1– 901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण,

rk go

तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण त्रैमासिक किस्तों में किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) सहायता अनुदान– सामान्य(गैर वेतन), छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन, किसान/वृद्धावस्था पेंशन एवं इस प्रकार के अन्य मदों के लिए पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

यह आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1315(5)/26–3–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 ।
5–संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6–निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7–सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

rk go

शासनादेश सं0–1315(4)/26–3–2011–10(28)/99, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2011–12
राजस्व लेखा 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेतर 80–सामान्य– 800–अन्य व्यय– 03–शैक्षिक कार्यक्रम– 0302–विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान– 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)–	20000
योग–800–	20000
योग–2225–	20000
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– 01–पुर्नवास– 800–अन्य व्यय– आयोजनेतर– 03–कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु सहायता– 20– सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)–	1390
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम– 102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन– 03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन–0301–अधिष्ठान– 20– सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)–	567959
योग–2235–	569349
योग–2225+2235–	589349

(रूपये अट्ठावन करोड तिरानबे लाख उन्चास हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

rk go